कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा / पीएसपी–सी / अ–2 / 60567 / केमाशिबो / 2019–20 दिनांक :– 18.1.19

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय)
....

विषय :– गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सी.बी.एस.ई. / सी.आई.एस.सी.ई. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सी.बी.एस.ई. / सी. आई.एस.सी.ई नई दिल्ली से संबद्धता हेतु सत्र 2019–20 में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव आमत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप व शपथ पत्र का नमूना इस पत्र के साथ संलग्न है। संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह में निरीक्षण दल का गठन कर, निरीक्षण दल से एक सप्ताह में निरीक्षण प्रतिवेदन मय टिप्पणी के प्राप्त करें। निरीक्षण दल निरीक्षण के दौरान विद्यालय में उपलब्ध भूमि एवं भवन की पर्याप्तता तथा विद्यालय की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट टिप्पणी करें। निरीक्षण दल की टिप्पणी की समीक्षा कर विद्यालय का आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट अनुशंसा सहित इस कार्यालय को निम्नानुसार आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना है :–

(1) निर्धारित तिथियॉ इस प्रकार से है :–

क्र0सं0	विवरण	निर्धारित अंतिम तिथि
1.	संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) को प्रस्तुत करना	31 जनवरी 2019
2.	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) द्वारा संबंधित विद्यालय का निरीक्षण कर नियमानुसार आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सहित स्पष्ट अनुशंषा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, बीकानेर को भिजवाना	14 फरवरी 2019
3.	निदेशालय द्वारा वांछित प्राप्त प्रस्ताव अपनी टिप्पणी सहित राज्य सरकार को भिजवाना	15 मार्च 2019
4.	राज्य सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में एन.ओ.सी. जारी करना	25 मार्च 2019

(2) प्रस्ताव के साथ निम्नानुसार देय है।

- आवेदन शुल्क – 10,000 रूपये
- अनापत्ति प्रमाण पत्र – 30,000 रूपये
- कक्षा 06, 07 एवं 08 में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के न्यूनतम सत्र के अनुभव में शिथिलन चाहने पर अतिरिक्त शुल्क निम्नानुसार देय होगा:–
- एक सत्र के शिथिलन पर 15000 / –रूपये
- दो सत्र के शिथिलन पर 25000 / –रूपये
- तीन सत्र के शिथिलन पर 35000 / –

समस्त शुल्क सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें ।

(3) आवेदन के लिए वे ही गैर सरकारी शिक्षण संस्थाऐं पात्र होगी जिनके पास उप्रावि. स्तर की मान्यता या उससे ऊपर की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।

www.rajteachers.com

(4) विद्यालय में राजस्थान फीस विनियमन अधिनियम 2017 की पालना में फीस निर्धारण हेतु कमेटी का गठन नियमानुसार कर लिया गया है।

(5) विद्यालय द्वारा आर0टी0ई0 नियमों की पूर्णतः पालना की जानी अनिवार्य है।

(6) भूमि रूपान्तरण के कम में शासन के पत्रांक प.9 (1)शिक्षा–5/भूमि रूपान्तरण/2016 जयपुर दिनांक 04.01.17 के अनुसार कार्यवाही करें।

(6) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्पष्ट अनुशंसा की जानी आवश्यक है, सशर्त (conditional) अनुशंसा किये जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी ।

www.rajteachers.com

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1), विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर

(2) सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर

(3) समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

100/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित शपथ पत्र का प्रारूपः—

—: शपथ पत्र :—

मनके ....पुत्र/पुत्री श्री...जाति......................उम्र.... वर्ष स्थायी निवासी.....
....
....(पूर्ण पता लिखें) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि:—

अ— विद्यालय द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 और समय—समय पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जायेगी तथा स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभायी जायेगी।

ब— विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से मान्यता प्राप्त है तो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा, बोर्ड/सीआईएससीई से सम्बद्धता मिलने पर अजमेर बोर्ड से मान्यता समाप्त करवा ली जायेगी।

स— संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अक्षरशः पालना वर्तमान में की जा रही है तथा इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है और इन से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है। संस्था द्वारा भविष्य में भी इस अधिनियम की अक्षरशः पालना की जायेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत गत दो वर्षो में .....छात्रों को प्रवेश दिया गया तथा इनके विरुद्ध निम्नानुसार राशि राज्य सरकार से आहरित की गई

क. सं.	सत्र	कक्षा कक्ष की क्षमता	कुल प्रवेशित छात्रो की संख्या	आरटीई. के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों की संख्या	संबंधित जिशिअ. द्वारा सत्यापित छात्र संख्या	राज्य सरकार द्वारा प्रति छात्र पुनर्भरण की देय राशि	कुल पुनर्भरण की प्राप्त राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

द— विद्यालय परिसर में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं है तथा न ही भविष्य में लगाया जायेगा।

य— विद्यालय में पूर्ण क्षमता व गुणवत्ता का अग्नि शमन यंत्र लगा हुआ है तथा इसके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ संस्था में उपलब्ध है।

र— विद्यालय परिसर के ऊपर से हाई टेंशन विद्युत तार नहीं गुजरते हैं।

ल— विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में रेम्प निर्धारित मापदण्ड 1 : 10 मीटर में बना हुआ है।

व— विद्यालय द्वारा उक्त पालना नहीं करने पर अथवा भागीदारी नहीं निभाने पर शिक्षा विभाग राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 के तहत विद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए मान्यता समाप्त करने/अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रत्याहरित करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके विरूद्ध संस्था द्वारा शिक्षा विभाग के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जायेगा।

श—भूमि रूपान्तरण के क्रम में शासन के पत्रांक प.9 (1)शिक्षा—5/भूमि रूपान्तरण/2016 जयपुर दिनांक 04.01.17 के अनुसार पालना की गई है। भूमि संस्था के प्रयोजनार्थ संबंधित सक्षम अधिकारी /निकाय द्वारा रुपान्तरित है। भूमि के रूपान्तरण/नियमितकरण नहीं होने की दशा में एनओसी के संबंध में विचार नहीं किया जावे।

ष—कार्यरत समस्त स्टाफ निर्धारित योग्यता एवं मानदण्डानुसार नियोजित है।

स—नियोजित स्टाफ को प्रतिमाह नियमित रूप से वेतन—भत्तों/मानदेय इत्यादि का भुगतान जरिये बैंक खाता किया जाता है।

यह कि पैरा 01 से 08 तक के बिन्दुओं में वर्णित मेरी सूचना मेरी निजी जानकारी एवं अभिलेख आधारित पूर्णतः सत्य है। मैंनें कोई भी तथ्य नहीं छुपाया है, न ही घटाया/बढ़ाया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

हस्ताक्षर

शपथगृहिता
(सचिव संस्था)

www.rajteachers.com

निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला निरीक्षण प्रतिवेदन

1. निजी विद्यालय का नाम ....
2. संस्था रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक .... एवं विद्यालय डाईस कोड संख्या ....
3. विद्यालय का वर्तमान स्तर – उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक
4. गत शिक्षा सत्र .... में प्रवेशित संख्या का विवरण–

क्र.सं.	कक्षा अनुसार विवरण अंकित करें	कुल नामांकन	निरीक्षण दिवस को उपस्थिति		आर.टीई. के तहत प्रवेशित छात्र संख्या
			छात्र	छात्रा	
कुल					

5. अध्यापन का माध्यम ....
6. राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा कक्षावार निर्धारित फीस के संबंध में जारी आदेश क्रमॉक .... दिनांक का विवरण
7. विद्यालय भवन परिसर – संलग्न ब्लूप्रिन्ट के अनुसार कमरे उपलब्ध है। उपलब्ध कमरे निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करते है / पूर्ति नहीं करते है। (कक्षवार विवरण संलग्न करें।)
8. विद्यालय में .... कुल शौचालय उपलब्ध है, जिनमें छात्राओं हेतु .... पृथक से है।
9. कार्यरत समस्त स्टाफ का संस्थापन विवरण–

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पद	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	योग्यता	वेतनमान / वेतन प्रतिमाह	भुगतान माध्यम नकद / बैंक खाते के माध्यम से

10. विद्यालय भवन के स्वामित्व की स्थिति– स्वयं / लीज / किराये का
11. उपलब्ध खेल मैदान क्षेत्रफल .... वर्गमीटर एवं स्वामित्व (स्वयं / किराये)

12. गतवर्ष.............. का परीक्षा परिणाम–

कक्षा	परीक्षा में शामिल	उतीर्ण संख्या	%उतीर्ण
कक्षा – 8			
कक्षा – 10			
कक्षा – 12			

13. विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार कृषि / विद्यालय हेतु रूपान्तरित
14. उपलब्ध दरी पट्टी / ड्युल डेस्क / फर्नीचर –
    - कक्षा 1 से 5– ....
    - कक्षा 6 से 8– ....
    - कक्षा 9 से 12 पृथक–पृथक– ....

    छात्र संख्या अनुसार उपलब्धता है। यह टिप्पणी कक्षा–कक्षों के भौतिक सत्यापन के बाद अंकित की जानी है।
15. नियोजित कार्मिकों के भविष्य निधि कटौति राशि(लागू होने की दशा में) .... मासिक राशि राजकोष में जमा कराये जाती है, निरीक्षण दल द्वारा अभिलेख से मिलान कर लिया गया है।
16. पुराने भवन कोपरिवर्तन करने का कारण ....
17. आवेदित विद्यालय भवन के .... किमी परिधि में अन्य कोई राजकीय / गैर राजकीय विद्यालय संचालित नहीं है।
18. विद्यालय भवन, परिसर में अथवा आस–पास मोबाइल टावर एवं विद्युत हाईटेन्शत लाइन नहीं है।
19. विद्यालय भवन में अग्निशमन यंत्र चालू हालत में है एवं इस हेतु सक्षम प्रमाण पत्र प्राप्त है। हॉ / नहीं तथा इसके संचालन हेतु विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को पूर्ण जानकारी है हॉ / नहीं
20. [illegible]

www.rajteachers.com

21. विद्यालय में कक्षा 1 से 5 चालू होने की दशा में शिक्षा का स्तर टिप्पणी–..
....
....

22. विद्यालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम/पंचाग अंगीकृत है– हॉ / नहीं

23. विद्यालय में स्वच्छ पेयजल हेतु उचित व्यवस्था है– हॉ/नहीं एवं शौचालय हेतु पानी की समुचित व्यवस्था है– हॉ / नहीं

24. संस्था द्वारा चाहा गया संकाय/अतिरिक्त संकायः–

25. संस्था द्वारा चाहे गये विषय/अतिरिक्त विषयः–

26. भवन परिवर्तन की स्थिति में नवीन भवन का पताः–..
....

27. संस्था द्वारा चाहा गया अतिरिक्त माध्यमः–

28. संस्था में पूर्व में संचालित माध्यमः–

उक्त विवरण के आधार पर संस्था द्वारा .... बाबत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृति योग्य है/निम्नांकित कारणों से स्वीकृति योग्य नहीं है–
....
....
....

हस्ताक्षर निरीक्षण दल शैक्षिक प्रकोष्ट अधिकारी	हस्ताक्षर संबंधित पं.स. के नोडल का प्रधानाचार्य/प्र.अ.	हस्ताक्षर संस्था प्रतिनिधि

....
....
....

उक्त सदस्यों की समान राय नहीं होने पर जिला शिक्षा अधिकारी मतभेद के बिन्दुओं का अध्ययन कर स्वयं भौतिक सत्यापन/अभिलेख जॉच के आधार पर टिप्पणी निम्नानुसार अंकित करेंगा–

मतभेद बिन्दु	वास्तविक टिप्पणी

उक्त के अनुसार .... आवेदित के क्रम में अभिशंषा की जाती है/प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त योग्य है।

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी

www.rajteachers.com

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी उपनियमों के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत जारी करने बाबत जॉच बिन्दु प्रतिवेदन

क्र. सं.	उप नियमानुसार जॉच बिन्दु	निर्धारित मापदण्ड	आवेदित संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर अनुपालना (हॉ / नहीं)	दस्तावेज संलग्नक संख्या	विशेष विवरण
01.	भूमि	कम से कम 1.5 एकड (6070 वर्ग मीटर)			
02.	भवन स्वामित्व का प्रकार– Iस्वयं का II किराये का				सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा जारी भवन का ब्ल्यूप्रिंट मय सुरक्षा प्रमाण पत्र
03.	कक्षा कक्ष– I कक्षाओं की संख्या अनुसार IIप्रयोगशाला एवं उपकरण IIIकम्प्यूटर लैब मय इंटरनेट	8 X 6 मीटर प्रति कक्ष 9 X 6 मीटर(कक्षा 10 के लिये न्यूनतम दो तथा कक्षा 12 हेतु वैकल्पिक प्रायोगिक विषयानुसार) कम से कम 10 कम्प्यूटर होना आवश्यक			
04.	अन्य आधारभूत सुविधा– I रैम्प II शौचालय (पृथक–पृथक) IIIफर्नीचर IVपुस्तकालय V वाचनालय कक्ष VIखेलकक्ष एवं उपकरण VIIबहुउददेशीय	 पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त (14 X8 मीटर)			

www.rajteachers.com

	हॉल				
05.	अन्य औपचारिकताऐं– I हाईटेन्सन लाईन रहित विद्यालय परिसर II अग्निशमन यंत्र				
06.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम की पालनाऐं 1.25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश II फीस निर्धारण हेतु समिति को आवेदन पत्र / निर्धारण स्थिति				

नोट– विद्यालय भवन का उपयोग शैक्षणिक विद्यालय के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ किये जाने पर निरीक्षण दल द्वारा स्पष्ट टिप्पणी अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

उक्त के आधार पर निरीक्षण दल द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अनुशंषा की जाती है / निम्नांकित कारणों से नहीं की जाती है–

1. ....

2. ....

3. ....

निरीक्षण दल के हस्ताक्षर(पद, मोहर व दिनांक सहित)

1. संयोजक　　　　2. सदस्य　　　　3. सदस्य

www.rajteachers.com

CBSE/CISCE से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत् प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन पत्र

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, प्रथम/द्वितीय
....

आवेदन का प्रकार–सम्बन्धित को टिक(√)करें
(i) क्रमोन्नति–माध्य./उच्च माध्य. स्तर (ii) अतिरिक्त–विषय/वर्ग (iii) माध्यम स्वीकृति (iv) भवन (v) नाम परिवर्तन स्वीकृति (vi) CBSE CISCE से संबद्धता

महोदय,

उक्त चिन्हित विषय के कम में विद्यालय से संबंधित सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है:–

1. विद्यालय का नाम व पता :–..
(नाम/भवन परिवर्तन हेतु आवेदन की स्थिति में संशोधित नाम/नये भवन के पते का विवरण लिखें) :–...
2. ई–मेल आईडी: ....दूरभाष :– बेसिक........................
मोबाइल.................
3. विभाग द्वारा पूर्व में जारी मान्यता/क्रमोन्नयन आदेश कमांक................ दिनांक........
4. अध्यापन का माध्यम:– हिन्दी/अंग्रेजी(**अतिरिक्त माध्यम हेतु आवेदन की स्थिति में वांछित माध्यम–.......................................**)
5. उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नयन हेतु आवेदन की स्थिति में खोले जाने वाला संकाय:.............................एवं अध्यापन विषय– 1................ 2. .... 3...............
6. अतिरिक्त संकाय हेतु आवेदन की स्थिति में विद्यालय में पूर्व से संचालित संकाय(1)....... (2)............ आवेदन किये गये अतिरिक्त सकाय एवं विषयों का विवरण (1)........... (2)..........
7. अतिरिक्त विषय हेतु आवेदन की स्थिति में खोले जाने वाला नवीन विषय–..............
8. संचालनकर्ता संस्था का नाम व पूर्ण विवरण:–
   1. नाम:..
   2. लोकेशन:...
   3. दूरभाष: ....
   4. ई–मेल आईडी:..
   5. अध्यक्ष का नाम:...
   6. सचिव का नाम:..

विद्यालय के निकट स्थापित राजकीय मा.वि./उ.मा.वि. से दूरी..........कि0मी0 एवं नाम:..

www.rajteachers.com

10. संस्था के पंजीयन का विवरण:--

पंजीयन संख्या.................................वर्ष..........................दिनांक..........................

11. संस्था संविधान के अनुसार संस्था संचालन का उद्देश्य:--..

कार्यकारिणी में कुल सदस्य संख्या:--..

कार्यकारिणी की अन्तिम बैठक दिनांक:--..

गत 02 तिमाही में आयोजित बैठकों की दिनांक(1)......................(2)..........................

12. संस्था कार्यकारिणी द्वारा उपर्युक्तानुसार वर्णित आवेदन हेतु बैठक में लिये गये सम्बन्धित प्रस्ताव हेतु आयोजित बैठक का विवरण :--

बैठक दिनांक	उपस्थित सदस्यों की संख्या	संबंधित पारित प्रस्ताव का विवरण

13. गत शैक्षिक सत्र...में कुल नामांकित विद्यार्थियों का कक्षानुसार संख्यात्मक विवरण:--

क्र. सं.	कक्षा	प्रवेशित छात्र– संख्या	परीक्षा में प्रविष्ट छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्र संख्या	आर.टी.ई. अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेशित छात्र संख्या	सरकार द्वारा पुनर्भरण की गई राशि

14. गत शैक्षिक सत्र ....में "निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2009" के प्रावधानानुसार प्रवेशित छात्र संख्या:--

15. राज्य स्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा फीस निर्धारण हेतु जारी आदेश क्रमांक एवं दिनांक...एवं कक्षानुसार निर्धारित फीस का विवरण:--

क्र.सं.	कक्षा (प्रत्येक कक्षा लिखें)	निर्धारित फीस राशि

16. कार्यरत स्टाफ की शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता का विवरण:--

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	जन्म तिथि	नियोजन तिथि	शैक्षिक/ प्रशैक्षिक योग्यता	वेतनमान	कुल देय वेतन

17. संबद्धता:--माध्यमिक शिक्षा बो० राजस्थान, अजमेर से संबद्धता क्रमांक............दिनांक

18. संबद्धता वर्ष :--..........................

19. अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की स्थिति में संबद्धता लिये जाने वाले बोर्ड का नाम (CBSE/CISCE) :- ....

20. विद्यालय भवन में कुल कमरों की संख्या:--..

21. विद्यालय भवन का स्वामित्व विवरण :--स्वयं का स्वामित्व/लीजडीड/किराये पर

22. आवेदन शुल्क हेतु राजकोष में जमा चालान सं..............दिनांक......................राशि..........

www.rajteachers.com

उक्त के कम में वांछित दस्तावेज संलग्न सूची के अनुसार प्रस्तुत किये जा रहे हैं। कृपया शैक्षिक सत्र......................से विद्यालय का क्रमोन्नति/अतिरिक्त विषय/संकाय/ भवन/नाम परिवर्तन/ अतिरिक्त माध्यम स्वीकृति/CBSE/CISCE से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को अग्रेषित करने का श्रम करावें। विभाग द्वारा आवश्यक स्वीकृति जारी करने पर बालिका शिक्षा फाउण्डेशन में जमा कराये जाने वाली राशि जि0शि0अ0 (मा0) कार्यालय में जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने की सहमति भी प्रदान करता हूँ।

स्थानः—

दिनांकः— हस्ताक्षर संस्था सचिव
मय मुहर

संलग्न दस्तावेज सूचीः—

1. संस्था के पंजीयन क्रमोन्नति आदेश एवं विधान की प्रति।
2. विद्यालय परिसर एवं निर्मित कक्षा—कक्षों आदि का नाप दर्शित करते हुए ब्लू प्रिण्ट।
3. विद्यालय भवन के संबंध में गत 6 माह की अवधि में जारी भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति।
4. राज्य स्तरीय फीस निर्धारण कमेटी द्वारा फीस निर्धारण बाबत् जारी आदेश की प्रति।
5. विद्यालय भवन के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज की प्रति।
6. नियोजित समस्त स्टाफ का संस्थापन विवरण मय शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता, पद एवं नियोजन की तिथि।
7. निर्धारित प्रारुप में शपथ पत्र।
8. आरक्षित कोष पेटे जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था के संयुक्त नाम से निर्धारित राशि की एफ.डी.आर. की प्रति।
9. संस्था की गत 03 वर्षों की सी.ए. द्वारा प्रदत्त ऑडिट रिपोर्ट।
10. विद्यालय की मान्यता/सम्बद्धता आदेश की प्रति।
11. संस्था कार्यकारिणी द्वारा आवेदन के कम में पारित प्रस्ताव की प्रति।
12. विद्यालय भवन में मोबाईल टॉवर एवं हाईटैंशन लाइन नहीं होने का प्रमाण पत्र
13. अग्निशमन यंत्र/रैम्प होने का प्रमाण पत्र
14. अन्य वांछित/आवश्यक दस्तावेज।

www.rajteachers.com